न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 70 / 2007 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. बंजार सिंह पुत्र श्री हाकिम सिंह जाति राय सिक्ख निवासी सहसन तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर।

..... असल रेस्पोडेण्ट

2. जरनल सिंह पुत्र श्री दीवान सिंह जाति राय सिक्ख निवासी सहसन तहसील पहाडी जिला भरतपुर।

..... तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्रो न्याया0 उपखण्ड अधिकारी कॉमा दि0 16.07.2007 प्र.सं. 199 / 02 उनवान दीवान सिंह बनाम सरकार।

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज कुमार वकील अपीलांट।
2. श्री रविन्द्र सिंह फौजदार राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक–08.01.2019

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कॉमा के निर्णय व डिक्रो दिनांक 16.07.2007 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी / अपीलाण्ट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 3692 रकवा 11 बीघा 17 विस्वा वाके ग्राम सहसन पहाडी में स्थित है। वादी / अपीलाण्ट पाक विस्थापित हैं तथा 1947–48 के बाद से ही सहसन में रहकर उक्त आराजी पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई

अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गईं। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के परे एवं कानूनी प्रावधानो के विपरीत पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय गलत तरीके से किया है अपीलाण्ट ने इस तनकी को अपनी साक्ष्य से अपने पक्ष में बखूबी साबित किया था। माननीय राजस्व मण्डल के निर्णयनुसार विवादित आराजी पर कब्जा अपीलाण्ट पूर्ण रूपेण साबित है एवं माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा अपीलाण्ट के पक्ष में नियमन करने की आज्ञा दी है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का सन् 1947 से लेकर आज तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार के विवादित भूमि को चारागाह मानने में भूल की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क दिए कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप सही है। विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत अपीलाण्ट को कोई खातेदारी अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जिलाधीश एवं भू प्रबन्ध आयुक्त भरतपुर, चीफ सेटलमेण्ट कमिश्नर एवं राजस्व अपील अधिकारी(प्रथम) जयपुर एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि पूर्व में, अपीलाण्ट को आवंटित भूमि के EXCHANGE का विवाद था, जिसे बाद में अपीलाण्ट द्वारा घोषणात्मक वाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आवंटित भूमि को EXCHANGE करने की प्रक्रिया, प्रशासनिक है एवं अपीलाण्ट का प्रशासनिक प्रक्रिया को चुनौती देना तार्किक नहीं है। इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व का, ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे साबित होता हो कि अपीलाण्ट अथवा उनके पूर्वज संवत 2012 से पूर्व विवादित आराजी पर खुदकाश्त के रूप में दर्ज रहे हो। मात्र अपीलाण्ट के मौखिक कथन कि उनका विवादित आराजी पर 50 वर्ष से कब्जा काश्त है, से कोई

खातेदारी अधिकार हासिल नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कॉमा के निर्णय व डिक्रो दिनांक 16.07.2007 यथावत रखं जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 08.01.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर